<u>न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), चरखारी महोबा।</u>

<u>मूलवाद सं0–98/2014</u>

रामपाल सिंह बनाम जगपाल सिंह आदि।

<u>दिनांक–08.05.2025</u>

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 93क1 अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सी0पी0सी0 तथा आपत्ति 96ग2 पर सुना गया।

प्रार्थना पत्र 93क अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सी0पी0सी0 वादी की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि टंकण त्रुटि के कारण वाद पत्र में कुछ आवश्यक तथ्य टंकित होने से छूट गये है जो कि वाद के गुण दोष के आधार पर निस्तारण के लिये आवश्यक है। इस कारण वाद पत्र में कुद आवश्यक संशोधन किया जाना जरूरी है। अतः प्रार्थना की है कि वाद पत्र में निम्नलिखित संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जावे–

1. यह कि वाद पत्र की धारा 3 के पश्चात नवीन धारा 3अ निम्न प्रकार अंकित किये जाने की अनुमति दी जावे।

''3अ–यह कि वाद भूमि वादी की पैत्रिक सम्पत्ति है तथा ग्राम समाज अथवा उ0प्र0 सरकार को वाद भूमि से कोई वास्ता व सरोकार न कभी रहा है न आज है। वाद भूमि का पट्टा किये जाने का कोई अधिकार ग्राम समाज को नहीं है न कभी रहा है।''

वादी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र 94ग2 प्रस्तुत किया गया है।

प्रतिवादी जगपाल सिंह की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र के विरोध में आपत्ति 95ग2 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादी द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र खिलाफ वाक्यात व खिलाफ कानून है। वादी द्वारा वाद पत्र पर जो संशोधन चाहा है उसका कोई विधिक औचित्य नहीं है। प्रकरण बहस के स्तर पर है वादी जानबूझकर प्रकरण को निस्तारित नहीं होने देना चाह रहा है जिससे अनावश्यक संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा अपने दावे में पूर्व लिखित तथ्य को ही भाषा परिवर्तित कर पुनः अंकित कराना चाहा है जिससे संशोधन उचित नहीं है। पट्टे के संबंध में वादी को किसी भी प्रकार के प्रोटेस्ट का अधिकार नही है और न ग्राम समाज अथवा उ0प्र0 सरकार द्वारा पट्टा का अधिकार चैलेन्ज का वर्तमान प्रकरण के माध्यम से अधिकार है जिससे उक्त तथ्य जोड़े जाने का कोई कारण नहीं बनता है। उपरोक्त के आधार पर संशोधन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन द्वारा विदित होता है कि वादी द्वारा प्रतिवादीग्ण्ज्ञ के विरूद्ध स्थाई व्यादेश के अनुतोष हेतु न्यायालय में संस्थित किया गया है। वादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र 93क1 प्रस्तुत कर वाद पत्र में संशोधन किये जाने की याचना की गयी है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 93क1 शपथ पत्र 94ग2 से समर्थित है। उक्त प्रार्थना पत्र के अवलोकन से

स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा वान्छित संशोधन से उक्त वाद पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है तथा न ही उक्त वाद की प्रकृति बदलती है। उक्त संशोधन वाद के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु आवश्यक प्रतीत होता है। जहां तक विलम्ब का प्रश्न है तो इसकी पूर्ति हर्जे से की जा सकती है।

अतः उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र 93क1 अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सी0पी0सी0 हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है। तद्नुसारः—

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र 93क1 अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सी0पी0सी0 मु0—500/—रू0 हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। वादी को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र 93क1 में वान्छित संशोधन अविलम्ब करे। प्रतिवादी यदि चाहे तो उक्त संशोधन के परिपेक्ष में अतिरिक्त जवाबदावा नियत दिनांक तक प्रस्तुत कर सकता है।

पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 04.07.2025 को पेश हो।

सिविल जज (जू0डि0)
चरखारी महोबा।